न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा न0	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
155/2019	धारा 91 एल.आर.ए	19.11.2019	28.02.2020

उनवान सरकार बनाम श्री दयानन्द यादव पुत्र रामजीलाल जाति यादव निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का पचेरी कलां ने संवत् 2076 मे इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम पचेरी कलां की राजकीय भूमि गै0मु0 पहाड़ ख0 न0 1291 कुल रकबा 12.54 है. किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0..07 है0 पर अतिक्रमी दयानन्द यादव पुत्र रामजीलाल जाति यादव निवासी पचेरी कलां ने अवैध रूप से पक्का आवासीय निर्माण व दुकान बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश यिका गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। जबाबदाता को ग्राम पचेरी कला के हाल ख0न0 1291 जिसके गत खसरा न. 1154 है। गत खसरा न. 1154 में एक बीघा पक्की भूमि गै.मु. आबादी के लिये इन्तकाल न. 715 के जरिये आवंटित की गई है जो इन्तकाल नं. 715 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की गई। गत खसरा नं. 1154 में एक बीघा पक्की गै.मु. आबादी में से मोहर सिह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी पचेरी कलां को आवासीय हेतु 500 वर्गगज भूमि 5/रूपये जरिये चालान जमा करवाकर दिनांक 25.08..1986 को तहसीलदार खेतड़ी ने आवासीय पट्टा जारी किया। जिसमें से मोहरसिह नै दिनांक 04.02.1987 को जरिये इकरारनामा 375 वर्गगज भूमि सुन्दरलाल पुत्र मोहरसिह जाति अहीर निवासी शिवसिंहपुरा, बृजलाल पुत्र रामनारायण जाति अहीर निवासी ढाणी नावता व सरदाराराम पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी ढाणी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 को बेचान कर दी और दिनांक 01.07.2002 के जरिये इकरारनामा मोहरसिंह पुत्र बहादूर सिह जाति निवासी पचेरी कलां व सुन्दर लाल पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर निवासी शिवसिंहपुरा ने अपना हिस्सा 250 वर्गगज भूखण्ड करणीराम पुत्र श्री थानाराम जाति अहीर निवासी शिवसिंहपुरा को बेचान कर दिया। उसके बाद दिनांक 06.02.2020 को सरदाराम, बृजलाल, करणीराम ने अपना सम्पूर्ण 500 वर्गगज भूखण्ड (जबाबदाता) दयानन्द यादव उर्फ रामकृष्ण यादव पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी खान्दवा हाल आबाद पचेरी कला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 को बेचान कर दी। जबाबदाता ने जरिये लिखावट 150 वर्गगज भूमि जो उमराव सिह पिता बख्तावर जाति डाकोत निवासी पचेरी कलां आवासीय पट्टे शुद्धा भूखण्ड को क्रय कर लिया। इस प्रकार जबाबदाता के पास 500+150= 650 वर्गगज भूमि वर्तमान मे है। जिस पर जबाबदाता स्थाई रूप से आबाद है। इस प्रकार जबाबदाता द्वारा इन्तकाल नं. 715 के जरिये जो भूमि आबादी आवंटित हुई थी। उसमें से जिनको पट्टे जारी हुये थे, उनसे खरीद की गई भूमि को हल्का पटवारी ने गैर मु. पहाड़ की भूमि मानकर धारा 91 एल.आर.एक्ट. का नोटिस गया गया है जो खारीज/ड्रोप किये जाने योग्य है।

यह कि जबाबदाता ने 500 वर्गगज भूमि दिनांक 06.02.2004 को क्रय करने एवं कब्जा करने के उपरान्त अपने उक्त 650 वर्गगज भूखण्ड पर मकान एवं दुकाने बनाना शुरू कर दिया और कार्य पूर्ण होने पर जबाबदाता ने अपने उक्त भूखण्ड में विभागीय बिजली पानी के स्थाई कनेक्शन लेकर अपने परिवार सहित सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं के साथ आबाद है। इस प्रकार जबाबदाता ने कोई किसी प्रकार की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपने पट्टे शुद्धा भूमि पर ही आबाद है।

तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned with CamScanner

जवाबदाता का नाम रामकृष्ण उर्फ दयानन्द है। जवाबदाता को रामकृष्ण व दयानन्द दोनों की नामों से जाना जाता है। इसलिये जवाबदाता ने जिनसे यह भूमि खरीद की है, उन इकरारनामों में जवाबदाता का नाम दयानन्द व रामकृष्ण लिखा गया है। इस प्रकार जवाबदाता ने गै. मु. पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि इन्तकाल नं. 715 के जरिये जो भूमि गै.मु. आबादी हेतु आवंटित हुई थी, उसमें से भूमि खरीद कर अपने मकान बनाये है। जवाबदाता ने अपनी खरीदशुदा भूमि में बन्दोबस्त पूर्व ही मकानात बना लिये और अपने मकानों में सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं सहित बिजली, पानी के विभागीय कनेक्शन लेकर अपने परिवार एवं पशुधन सहित स्थाई रूप से आबाद है। इसलिए जवाबदाता के खिलाफ धारा 91 एल.आर.एक्ट. की कार्यवाही को खारीज किया जाना आवश्यक है। अपने जवाबके समर्थन में जवाबदाता ने तहसीलदार खेतड़ी द्वारा जारी पट्टा दिनांक 25.08.1986 एवं चालान की रसीद पेश की तथा भूमि गत ख.न. 1154 रकबा 135 बीघा गै.मु. पहाड़ब्रह्म में से आबादी हेतु आवंटित 1 बीघा भूमि का नामान्तरकरण सं. 715 की नकल पेश की तथा पट्टा धारक मोहरसिंह द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 04.02.1987 को सुन्दरलाल, बृजलाल, सरदारा राम को बेचान किये गये 375 वर्गगज के भूखण्ड की नकल पेश की गई तथा पट्टा धारक मोहरसिंह के पास शेष रहे 125 वर्गगज एवं सुन्दरलाल द्वारा खरीद किये गये 125 वर्गगज कुल 250 वर्गगज भूखण्ड का बेचान करणीराम पुत्र थानाराम के दिनांक 01.07.2002 को किये गये इकरारनामा की नकल पेश की गई तथा सरदारा राम, बृजलाल, करणीराम द्वारा दिनांक 06.02.2004 को अप्रार्थी रामकृष्ण को बेचान किये गये 500 वर्गगज भूखण्ड के इकरारनामे की नकल पेश की गई एवं कथन किया की यह भूमि पट्टे शुदा है तथा दिनांक 23.01.1975 को नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा ग्राम पंचायत पचेरी कला की 150 वर्गगज भूमि का पट्टा उमराव पुत्र बख्तावर को दिये जाने का कथन करते हुये उक्त पट्टे की नकल पेश की एवं निवेदन किया की दिनांक 06.03.1974 से दिनांक 07.04.1976 तक पट्टा देने के अधिकार ग्राम पंचायतों से वापिस लेकर सरकार के पास थे। जिस पर राज्य सरकार की ओर से नायब तहसीलदार ने पट्टा दिया था एवं उमराव की मृत्यु होने पर उसके पुत्र नरेश कुमार व रतनलाल ने अपनी उक्त पट्टे शुदा भूमि दिनांक 13.03.2002 को जवाबदाता को बेचान कर दी थी। इस प्रकार जवाबदाता 650 वर्गगज आबादी भूमि पर काबिज है एवं उसका कब्जा सन् 2002 से है। उससे पहले उसके विक्रेताओं का कब्जा था एवं यह भूमि भी आबादी भूमि है। इसलिये उसके खिलाफ की गई कार्यवाही खारीज किये जाने योग्य है। मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके अनुसार गत ख.न. 1154 गै. मु. पहाड़ब्रह्म में से 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 23.01.1975 को नायब तहसीलदार द्वारा दिया गया है तथा 500 वर्गगज का पट्टा दिनांक 25.08.1986 को तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिया गया है तथा गत ख.न0 1154 में से एक बीघा भूमि इंतकाल नं. 715 के जरिये गै.मु. आबादी भूमि दर्ज हुई है। इस प्रकार नोटिस में दर्ज भूखण्ड जवाबदाता का पट्टा शुदा होना प्रथम दृष्टया होना साबित है। इसलिये उसके खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही खारीज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी दयानन्द उर्फ रामकृष्ण के खिलाफ ख.न. 1291 स्थित ग्राम पचेरी कला उसकी पट्टे शुदा एवं कब्जे शुदा भूमि होने से उसके खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंशीधर योगी)
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned with CamScanner